REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2023

ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण : एक आवश्यकता

डॉ. वंदना बनकर
विभागाध्यक्ष, गृहविज्ञान विभाग, कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, चिंचोली लिंबाजी
ता. कन्नड़, जिला—छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र.

सारांश

ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारतीय समाज में महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, कृषि, उद्योग, खेल, विज्ञान तथा सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं; फिर भी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अनेक स्तरों पर चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। प्रस्तुत शोध-पत्र में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। इनमें शिक्षा के अवसरों की कमी, विद्यालय छोड़ने की समस्या, निर्णय लेने की सीमित स्वतंत्रता, आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, लैंगिक भेदभाव तथा कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी प्रमुख हैं। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, वित्तीय स्वतंत्रता और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना, कानूनी एवं लैंगिक जागरूकता विकसित करना तथा स्थानीय समुदायों के सहयोग से प्रभावी नेटवर्क तैयार करना आवश्यक है। महिला सशक्तीकरण को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित न रखते हुए महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना आवश्यक है। शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम ग्रामीण महिला न केवल अपने परिवार की स्थिति में सुधार ला सकती है, बल्कि संपूर्ण ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण समानता, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की आधारभूत आवश्यकता है।

प्रमुख शब्द: महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण महिला, महिला शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना

महिला सशक्तीकरण का अर्थ महिलाओं को समाज में समानता, अधिकार और अवसर प्रदान करने तथा उन्हें शैक्षिक, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को समाज में समानता की दिशा में आगे बढ़ाना तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व, राजनीति, कृषि, उद्योग और अन्य सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है। इसके लिए विभिन्न

सरकारी योजनाओं, सामाजिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आवश्यक सहयोग और अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न ऐतिहासिक एवं सामाजिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज शिक्षा ने महिलाओं को काफी हद तक सशक्त बनाया है और उन्हें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होकर सक्रिय योगदान दे रही हैं। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। खेल के क्षेत्र में पी. टी. उषा, सानिया मिर्जा जैसी अनेक महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार राजनीति, सामाजिक कार्य, कृषि, अर्थव्यवस्था, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग, मनोरंजन, विज्ञान, अंतरिक्ष, विमानन आदि अनेक क्षेत्रों में महिलाएँ अपनी पहचान बना रही हैं।

किन्तु यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या इन उपलब्धियों का लाभ देश की सभी महिलाओं तक समान रूप से पहुँच पाया है? क्या महिला सशक्तीकरण का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक भी उसी स्तर पर पहुँचा है? यदि हम ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो आज भी उनके सामने अनेक गंभीर समस्याएँ दिखाई देती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा लैंगिक भेदभाव जैसी अनेक समस्याएँ ग्रामीण महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण केवल महिलाओं के विकास का विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के विकास की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की प्रमुख समस्याओं तथा उनके सशक्तीकरण के संभावित उपायों पर चर्चा की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की प्रमुख समस्याएँ

1. ग्रामीण लड़कियों की शैक्षिक समस्याएँ

शिक्षा महिला सशक्तीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता, निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित करती है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के सामने अनेक बाधाएँ हैं। 2010–2020 के कालखंड में भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या 24 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत होने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 2017–18 के आँकड़ों के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में महिलाएँ ऐसी हैं जो किसी भी भाषा में एक साधारण वाक्य तक लिखने में सक्षम नहीं हैं। ये आँकड़े महिला शिक्षा की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करते हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के आँकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। आर्थिक कठिनाइयाँ, विद्यालयों की दूरी, सुरक्षित परिवहन का अभाव, घरेलू कार्यों का बोझ, बाल विवाह तथा परिवार की रूढ़िवादी सोच लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती हैं। दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणामों में अक्सर लड़कियाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन करती दिखाई देती हैं। समाचारों में भी यह प्रमुखता से प्रकाशित होता है कि इस वर्ष लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। किंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि इन लड़कियों में से कितनी लड़कियाँ आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं? कितनी लड़कियाँ शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त करती हैं? इस दिशा में गंभीर चिंतन आवश्यक है।

2. निर्णय लेने की शक्ति का अभाव

महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता है। इसमें परिवार से संबंधित निर्णय, आर्थिक संसाधनों का उपयोग, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने समय का उपयोग तथा व्यक्तिगत जीवन से जुड़े निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है। निर्णय लेने की शक्ति के बिना वास्तविक महिला सशक्तीकरण संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, पारिवारिक भूमिकाओं और पितृसत्तात्मक सोच का प्रभाव दिखाई देता है। अनेक महिलाओं को अपनी राय व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीदारी से लेकर अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने जाने तक के निर्णय में भी उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की अनुमति लेनी पड़ती है।

आज भी अनेक ग्रामीण लड़कियाँ अपने विवाह के संबंध में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती हैं। महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्राप्त होना आवश्यक है। महिलाओं को ऐसी स्थिति में लाना होगा जहाँ वे अपनी समस्याओं को स्वयं समझ सकें, उनका समाधान खोज सकें तथा अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें।

3. सीमित आर्थिक स्वतंत्रता

ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश महिलाएँ कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, घरेलू उद्योग तथा घरेलू कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। इसके बावजूद उनके श्रम का आर्थिक मूल्यांकन पर्याप्त रूप से नहीं किया जाता। अनेक महिलाओं के नाम पर भूमि, संपत्ति या पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होते। परिणामस्वरूप वे आर्थिक रूप से परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती हैं।

आर्थिक निर्भरता महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला अपने तथा अपने परिवार के लिए बेहतर निर्णय ले सकती है। वित्तीय सशक्तीकरण के अभाव में गरीबी और निर्भरता का चक्र निरंतर बना रहता है। इसलिए महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

4. स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव

स्वास्थ्य एक मौलिक आवश्यकता और अधिकार है। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आज भी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं। अनेक महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सकीय कर्मचारी, दवाइयाँ और आवश्यक सुविधाओं का अभाव ग्रामीण महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है। विशेष रूप से मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल तथा किशोरियों के स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में एनीमिया तथा कुपोषण की समस्या भी गंभीर रूप से दिखाई देती है।

स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करने के लिए बाध्य करती है। यदि ग्रामीण महिलाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों, तो उनके स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। स्वस्थ महिला अपने परिवार और समाज के विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के उपाय

1. उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ग्रामीण लड़कियों के लिए सस्ती और सुलभ उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कौशल विकास तथा डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह तथा शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलने के लिए जनजागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। गाँव-गाँव में माता-पिता को लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। विवाह के बाद भी महिलाओं को शिक्षा जारी रखने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

2. वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह (SHGs), महिला बचत समूह तथा कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करा सकते हैं।

महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, उद्यमिता तथा व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, किंतु इन योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रत्येक पात्र महिला तक पहुँचाना आवश्यक है। बैंक सखी तथा महिला स्वयं सहायता समूह इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

3. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, मातृ स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीण महिलाओं तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जब महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगी, तब वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल करने के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भी अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगी।

4. कानूनी सुरक्षा और लैंगिक जागरूकता

घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव तथा कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध बनाए गए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ग्रामीण महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए कानूनी साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए। महिलाओं को यह जानकारी होना आवश्यक है कि अन्याय, हिंसा या भेदभाव की स्थिति में वे कहाँ और किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकती हैं। एक सुरक्षित और समान समाज के निर्माण के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज को मिलकर कार्य करना होगा। घर-घर में लड़के और लड़कियों के बीच होने वाले भेदभाव को समाप्त करने

के लिए विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरंतर जनजागरण किया जाना चाहिए। परिवार और समाज की मानसिकता में परिवर्तन महिला सशक्तीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

5. स्थानीय समुदाय का सहयोग और नेटवर्किंग

स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, बैंक सखी, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएँ, कौशल विकास केंद्र तथा विभिन्न सामुदायिक संगठन ग्रामीण महिलाओं के लिए सहयोग के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। इनके माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, रोजगार, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

स्थानीय महिला समूह महिलाओं को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, रोजगार तलाशने तथा अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता कर सकते हैं। सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से महिलाएँ एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकती हैं और सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकती हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। जब महिलाएँ शिक्षित, स्वस्थ, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, तब उसका सकारात्मक प्रभाव केवल महिला पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सुविधाओं, कानूनी जागरूकता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देकर उन्हें अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह, सरकारी योजनाएँ, स्थानीय संस्थाएँ, शैक्षणिक संस्थान तथा गैर-सरकारी संगठन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वास्तविक महिला सशक्तीकरण तभी संभव है जब ग्रामीण महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी न मानकर विकास प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाया जाए। महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, समान अवसर, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण आज केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि समतामूलक और विकसित समाज के निर्माण की अनिवार्य शर्त है।

संदर्भ सूची

1. Hazarika, Dharuba. "Women Empowerment in India: A Brief Discussion." *International Journal of Educational Planning and Administration*, vol. 1, no. 3, 2011, pp. 199–202.
2. Reddy, V. "Women Empowerment in India: A Case of Political Reservation." *Countercurrents.org*, 2011.
3. Waghamode, R. H., and J. L. Kalyan. "Women Empowerment in India: A Study." *Review of Literature*, vol. 1, no. 7, 2014.
4. Cornwall, Andrea. "Women's Empowerment: What Works?" *Journal of International Development*, vol. 28, no. 1, 2016, pp. 342–359. https://doi.org/10.1002/jid.3210.
5. Wairagade, Dr. *Mahila Sakshamikaran Ani Vistar Shikshan*. Vidya Prakashan, Aurangabad.
6. Padhan, S., and S. Husain. "Gender Equality and Women Empowerment: Key for Nation Building." 2020.

7. Liu, Y. B. *Researches on Gender Equality Education in Taiwan and Its Enlightenment*. Changchun Normal University, 2015.
8. Plan International. *Women's Empowerment and Gender Equality*. https://plan-international.org
9. United Nations Population Fund (UNFPA). *Gender Equality*. https://www.unfpa.org
10. Swedish Gender Equality Agency. *Gender Equality*. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/
11. United Nations Sustainable Development Group. *2030 Agenda for Sustainable Development*. https://unsdg.un.org/2030-agenda/